



क्षेत्रीय कार्यालय

## REGIONAL OFFICE

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. No.

820/M.G.T-468/2019

दिनांक  
Dated

8/7/19

To,

The Registrar,  
National Green Tribunal  
Principal Bench, New Delhi

Subject :- Factual and Action Taken Report in compliance of order dated 30.05.2019 passed by NGT in OA No.468/2019 titled as Abdul Wasih Versus State of Uttar Pradesh and others.


Sir,

In above noted case Hon'ble National Green Tribunal has directed the UP Pollution Control Board to exercise its authority under the provisions of the **Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981** to prohibit polluting activities and recover compensation for the damage caused, apart from other steps. Pursuant to the said direction an inspection carried out and during the course of said inspection it came to knowledge that, three black salt units namely **1. M/s. Azad Black Salt Udyog, 2. M/s Jamshed ka kala namak karkhana** and **3. M/s Imran ka kala namak karkhana** were established and operated without consent from UPPCB under **Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981** and **Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974** at village Sindhawali Tehshil & District Meerut and cause air pollution. Accordingly, the Regional Office has sent inspection report to Head Office, Lucknow with recommendation to initiate action against the black salt units under section 31-A of **Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981**. Accordingly the Head Office, UPPCB, Lucknow has issued closure order under **Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981** against said units. In compliance of closure order the said units have been closed with the help of District Administration. An action taken report is being submitted along with the present letter for kind perusal and further action in this regard.

With regards,


Enclosure: A Factual and Action Taken Report.

Your Faithfully


  
(R.K. Tyagi)  
Regional Officer  
UP Pollution Control Board  
Meerut

**FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT REGARDING HON'BLE NGT ORDER**  
**DATED 30.05.2019 IN OA NO. 468/2019**

1. In compliance of the Hon'ble NGT Order dated 30.05.2019 in OA No. 468/2019 "Abdul Wasih Vs State of Uttar Pradesh & others" M/s Azad Black Salt udyog vill. Sindhawali, rohta road, Meerut, operated by Shri Mustkeem S/o Jameel was inspected by official of UPPCB, Regional Office, Meerut on dated 03.06.2019 and dated 19.06.2019. Inspection report annexed as **Annexure-I**.
2. During inspection it was observed that along with above unit two other black salt units were operating at vill. Sindhawali, rohta road, Meerut named as below:-
  - a. Shri Jamshed S/o Shamshad ka kala namak karkhana.
  - b. Shri Imran ka kala namak karkhana.The inspection reports annexed as **Annexure-II**.




**AZAD BLACK SALT UDYOG**



**JAMSHED KA KALA NAMAK KARKHANA**

*Signature*      *Signature*




**IMRAN KA KALA NAMAK KARKHANA**

3. These three units have not obtained consent to establishment and consent to operate from the Board under Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974.
4. Head office UPPCB Lucknow has issued closure order of all three units under section 31-A of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 given below :-

Sr. No.	Units name and its address	Closure order
1.	M/s Azad Black Salt udyog vill. Sindhawali, rohta road, Meerut	H 38111/C-3/Vayu-669/B.Aa/Meerut/2019 dated 03.07.2019
2.	Shri Jamshed S/o Shamshad ka kala namak karkhana. vill. Sindhawali, rohta road, Meerut	H 38109/C-3/Vayu-670/B.Aa/Meerut/2019 dated 03.07.2019
3.	Shri Imran ka kala namak karkhana. vill. Sindhawali, rohta road, Meerut	H 38110/C-3/Vayu-671/B.Aa/Meerut/2019 dated 03.07.2019


5. Head office UP Pollution Control Board, Lucknow has imposed environmental compensation of Rs. 1,32821/-of each units.
6. In compliance of closure order issued against above units, units have been closed by Administration and UPPCB on dated 06.07.2019. Compliance report annexed as Annexure-IV.




**DISMETLING OF BHATTI OF AZAD BLACK SALT UDYOG**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




DISMENTLING OF BHATTI OF JAMSHED KA KALA NAMAK KARKHANA




DISMENTLING OF BHATTI OF IMRAN KA KALA NAMAK KARKHANA

The above factual and action taken report is submitted for kind perusal of the hon'ble National Green Tribunal.

  
(S.P. Singh)  
J.E.  
UPPCB  
Meerut

  
(Prakhar kumar)  
A.E.E.  
UPPCB  
Meerut

9/3

  
(R.K. Tyagi)  
Regional officer,  
UPPCB, Meerut.

594/El Against Black Salt 2019

11/6/19  
email.

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-3),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

**विषय:-** मा० एन०जी०टी में ओजित ओ०ए० सं०-468/2019(अब्दुल वसीह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य)में पारित आदेश दिनांक-30/05/2019 के अनुक्रम में मै० आजाद ब्लैक साल्ट ग्राम सिंघावली रोहटा रोड तह० व जनपद मेरठ, के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक-एच37087/सी-3/विविध-77/एनजीटी/2019 दिनांक-07/06/2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० एन०जी०टी में ओजित ओ०ए० सं०-468/2019(अब्दुल वसीह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य)में पारित आदेश दिनांक-30/05/2019 के अनुक्रम में मै० आजाद ब्लैक साल्ट ग्राम सिंघावली रोहटा रोड तह० व जनपद मेरठ,के विरुद्ध बोर्ड द्वारा कार्यवाही किये जाने के संबंध में पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत है


“We are of the view that if any air pollution is being caused and the unit is operating in absence of consent to establish, the State PCB must exercise its authority under the provisions of the Air(Prevention and Control of Pollution) Act,1981 to prohibit polluting activities and recover compensation for the damage caused,apart from other steps.

Let State PCB furnish a factual and action taken report in the matter by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) within a month.”

उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-03/06/2019 को किया गया। निरीक्षण आख्या मुल रूप में संलग्न है। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(आर०के० त्यागी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-

1. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
01/06/19

मा0 एन0जी0टी में ओजित ओ0ए0 सं0-468/2019(अब्दुल वसीह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य)में पारित आदेश दिनांक-30/05/2019 के अनुक्रम में मै0 आजाद ब्लैक साल्ट ग्राम सिंधावली रोहटा रोड तह0 व जनपद मेरठ, की निरीक्षण आख्या:-

मा0 एन0जी0टी में ओजित ओ0ए0 सं0-468/2019(अब्दुल वसीह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य)में पारित आदेश दिनांक-30/05/2019 के अनुक्रम में मै0 आजाद ब्लैक साल्ट ग्राम सिंधावली रोहटा रोड तह0 व जनपद मेरठ,के विरुध बोर्ड द्वारा कार्यवाही किये जाने के संबंध में पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत है


“We are of the view that if any air pollution is being caused and the unit is operating in absence of consent to establish, the State PCB must exercise its authority under the provisions of the Air(Prevention and Control of Pollution) Act,1981 to prohibit polluting activities and recover compensation for the damage caused,apart from other steps.

Let State PCB furnish a factual and action taken report in the matter by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) within a month.”

उपरोक्त के संबंध में मै0 आजाद ब्लैक साल्ट ग्राम सिंधावली रोहटा रोड तह0 व जनपद मेरठ,का अधोहस्ताक्षर द्वारा दिनांक-3/06/2019 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधी के रूप श्री फरमान प्रोपराइटर के भाई उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत है।

1. उद्योग ग्राम सिंधावली रोहटा रोड तह0 व जनपद मेरठ,में स्थापित एवं संचालित हैं। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत था।
2. उद्योग में कच्चे माल के रूप में नमक हर्र बहेडा, आवला आदि का प्रयोग कर काला नमक का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 3.0 टन/दिन काला नमक उत्पादन की है।
3. उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे मिटटी के धडो में नमक हर्र बहेडा, आवला आदि को भरकर भटटी में मैल्टिंग स्टेज तक गर्म किया जाता है तदुपरांत उडा कर धडो को फोड कर काला नमक निकाला जाता है।
4. भटटीयों में ईधन के रूप में गोबर के उपले 300किग्रा/दिन एवं कोल बिकेट 2.0टन/दिन प्रयोग किया जाता है।
5. उद्योग में 8 भटटीया खुले में स्थापित है तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था एवं चिमनियां स्थापित नहीं है।
6. उद्योग में जल का प्रयोग औद्योगिक प्रक्रिया में नहीं होता है तथा न ही औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होता है।
7. उद्योग से जनित ठोस अपशिष्ठ यथा नमक युक्त फुटे हुये धडे अनउपयुक्त नमक/काला नमक,राख का निस्तारण अवैज्ञानिक तरीके से भूमि पर खुले भंडारित कर किया जाता है।
8. उद्योग को बोर्ड से स्थापना एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं है।


उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग मै0 आजाद ब्लैक साल्ट ग्राम सिंधावली रोहटा रोड तह0 व जनपद मेरठ, के विरुध वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।



(प्रखर कुमार)

सहा0पर्या0अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी, महोदय



10.06.19



क्षेत्रीय कार्यालय

## REGIONAL OFFICE

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. No.

631/c/Agro + Black Salt - 2019

दिनांक 20/6/19  
Dated

सेवा में,



मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-3),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।विषय :- मा० एन०जी०टी० में० ओजित ओ०ए० सं०-468/2019(अब्दुल वसीह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य)में  
आदेश दिनांक 30.05.2019 के अनुक्रम में मै० आजाद ब्लैक साल्ट,ग्राम-सिंघावली,रोहटा रोड तह० व  
जनपद-मेरठ के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक एच०३७०८७/सी-३/विविध-७७/एनजीटी/२०१९  
दिनांक ०७.०६.२०१९ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० सं०-४६८/२०१९  
(अब्दुल वसीह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य)में पारित आदेश दिनांक ३०.०५.२०१९ के अनुक्रम में मै० आजाद ब्लैक  
साल्ट,ग्राम-सिंघावली,रोहटा रोड तह० व जनपद-मेरठ के विरुद्ध बोर्ड द्वारा कार्यवाही किये जाने के संबंध में पारित  
आदेश के मुख्य अंश निम्नवत है"We are of the view that if any air pollution is being caused and the unit is operating in  
absence of consent to establish, the State PCB must exercise its authority under the provisions of the  
Air(Prevention and Control of Pollution) Act,1981 to prohibit polluting activities and recover  
compensation for the damage caused, apart from other steps. Let State PCB furnish a factual and  
action taken report in the matter by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) within a month."उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक ०३.०६.२०१९ को किया गया। निरीक्षण आख्या  
इस कार्यालय के पत्रांक ५४४/ई०/आजाद ब्लैक साल्ट/२०१९,दिनांक ११.०६.२०१९ के साथ मूलरूप में संलग्न कर  
उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम,१९८१ की धारा ३१-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश एवं  
पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी। आपके  
आदेशानुसार पुनः उद्योग का निरीक्षण दिनांक १९.०६.२०१९ को कराया गया। उद्योग में यथा स्थिति पायी गयी।उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम,१९८१ की धारा  
३१-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु अद्यतन आख्या पुनः मूलरूप में संलग्न  
कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। अग्रेतर अवगत कराना है कि बोर्ड द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में  
दिनांक ३०.०६.२०१९ तक ई-मेल के द्वारा ए०टी०आर० प्रस्तुत की जानी है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(आर०के० त्यागी)  
क्षेत्रीय अधिकारी
प्रतिलिपि :- मुख्य विधि अधिकारी,उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक  
कार्यवाही हेतु प्रेषित।
  
क्षेत्रीय अधिकारी


क्षेत्रीय कार्यालय :- पाकेट टी,सी-३/२, पल्लवपुरम फेस-२,मोदीपुरम,मेरठ-२५०११० (उ०प्र०)  
बोर्ड मुख्यालय :- पर्यावरण भवन,टी.सी.-१२,वी. विभूति खण्ड,गोमती नगर लखनऊ-२२६०१० (उ०प्र०)  
लखनऊ-२२६०१० (उ०प्र०)

मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० सं०-468/2019(अब्दुल वसीह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य)में पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 के अनुक्रम में मै० आजाद ब्लैक साल्ट,ग्राम-सिंघावली,रोहटा रोड,तह० व जनपद-मेरठ की निरीक्षण आख्या। मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० सं०-468/2019 (अब्दुल वसीह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य)में पारित आदेश दिनांक-30.05.2019 के अनुक्रम में मै० आजाद ब्लैक साल्ट ग्राम सिंघावली रोहटा रोड तह० व जनपद मेरठ,के विरुद्ध बोर्ड द्वारा कार्यवाही किये जाने के संबंध में पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत है

“We are of the view that if any air pollution is being caused and the unit is operating in absence of consent to establish, the State PCB must exercise its authority under the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act,1981 to prohibit polluting activities and recover compensation for the damage caused, apart from other steps. Let State PCB furnish a factual and action taken report in the matter by E-Mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) within a month.”

उपरोक्त के संबंध में मै० आजाद ब्लैक साल्ट ग्राम-सिंघावली,रोहटा रोड तह० व जनपद-मेरठ का अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 03.06.2019 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण आख्या उद्योग के विरुद्ध बंदी आदेश निर्गत किये जाने की संस्तुति सहित इस कार्यालय के पत्रांक 544/ई०/आजाद ब्लैक साल्ट/2019,दिनांक 11.06.2019 द्वारा बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी थी। आपके निर्देशानुसार उपरोक्त उद्योग मै० आजाद ब्लैक साल्ट,ग्राम-सिंघावली,रोहटा रोड,तह० व जनपद-मेरठ का पुनः दिनांक 19.06.2019 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप श्री फरमान,प्रोपराइटर के भाई,उपस्थित थे। उक्त उद्योग के प्रोपराइटर श्री मुस्तकीम अली है। उद्योग में निरीक्षण के समय पूर्व में निरीक्षण दिनांक 03.06.2019 के पश्चात् कोई सुधार नहीं पाया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

1. उद्योग ग्राम-सिंघावली,रोहटा रोड तह० व जनपद-मेरठ में स्थापित एवं संचालित हैं। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत था।
2. उद्योग में कच्चे माल के रूप में नमक हर्रा,बहेडा,आवला आदि का प्रयोग कर काला नमक का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 3.0 टन/दिन काला नमक उत्पादन की है।
3. उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे मिट्टी के घड़ों में नमक हर्रा बेहडा,आंवला आदि को भरकर भट्टी में मैल्टिंग स्टेज तक गर्म किया जाता है तदोपरांत ठंडा कर घड़ों को फोड कर काला नमक निकाला जाता है।
4. भट्टियों में ईंधन के रूप में गोबर के उपले 300किग्रा/दिन एवं कोल बिकेट 2.0टन/दिन प्रयोग किया जाता है।
5. उद्योग में 8 भट्टियां खुले में स्थापित है तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था एवं चिमनियां स्थापित नहीं है।
6. उद्योग में जल का प्रयोग औद्योगिक प्रक्रिया में नहीं होता है तथा न ही औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होता है।
7. उद्योग से जनित ठोस अपशिष्ट यथा नमक युक्त फुटे हुये धडे अन-उपयुक्त नमक/काला नमक,राख का निस्तारण अवैज्ञानिक तरीके से भूमि पर खुले भंडारित कर किया जाता है।
8. उद्योग को बोर्ड से स्थापना एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं है।
9. उद्योग लघु श्रेणी का है। उद्योग वायु प्रदूषणकारी है तथा नारंगी श्रेणी के उद्योगों के अंतर्गत आच्छादित है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग मै० आजाद ब्लैक साल्ट ग्राम-सिंघावली,रोहटा रोड तह० व जनपद-मेरठ के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु पुनःआख्या प्रेषित है। अवगत कराना है कि उद्योग के विरुद्ध कृत कार्यवाही की आख्या मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दिनांक 30.06.2019 तक ई-मेल द्वारा फाइल की जानी है।

  
(प्रखर कुमार)  
सहा०पर्या०अभि०

क्षेत्रीय अधिकारी

९९

20-06-19

558/01 Shri Jamsheed - 2019

11/6/19

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-3),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय:- मै० श्री जमसेद पुत्र श्री शमसाद के काला नमक कारखाना, ग्राम सिंघावली रोहटा रोड तह० व जनपद मेरठ, के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-03/06/2019 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार उद्योग में काला नमक का उत्पादन किया जाता है प्रक्रिया से जनित वायु उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है। उद्योग द्वारा बोर्ड से उद्योग के स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति नहीं प्राप्त की गयी है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि मा० एन०जी०टी में ओजित ओ०ए० सं०-468/2019(अब्दुल वसीह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य)में पारित आदेश दिनांक-30/05/2019 के मुख्य अंश निम्नवत है

“We are of the view that if any air pollution is being caused and the unit is operating in absence of consent to establish, the State PCB must exercise its authority under the provisions of the Air(Prevention and Control of Pollution) Act,1981 to prohibit polluting activities and recover compensation for the damage caused,apart from other steps.

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये उद्योग के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर०के० त्यागी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-

- मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी

11/6/19

मै0 श्री जमसेद पुत्र श्री शमसाद के काला नमक कारखाना, ग्राम सिंघावली रोहटा रोड तह0 व जनपद मेरठ, के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश हेतु निरीक्षण आख्या:-

उपरोक्त विषयक मै0 श्री जमसेद पुत्र श्री शमसाद के काला नमक कारखाना, ग्राम सिंघावली रोहटा रोड तह0 व जनपद मेरठ का अघोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक-3/06/2019 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधी के रूप श्री जमसेद प्रोपराइटर उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत है।

1. उद्योग ग्राम सिंघावली रोहटा रोड तह0 व जनपद मेरठ, में स्थापित एवं संचालित है। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत था।
2. उद्योग में कच्चे माल के रूप में नमक हर्र बहेडा, आवला आदि का प्रयोग कर काला नमक का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 3.0 टन/दिन काला नमक उत्पादन की है।
3. उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे मिट्टी के धडो में नमक हर्र बहेडा, आवला आदि को भरकर भट्टी में मैल्टिंग स्टेज तक गर्म किया जाता है तदुपरांत ठंडा कर धडो को फोड़ कर काला नमक निकाला जाता है।
4. भट्टीयों में ईंधन के रूप में गोबर के उपले 300किग्रा/दिन एवं कोल बिकेट 2.0टन/दिन प्रयोग किया जाता है।
5. उद्योग में 6 भट्टीया खुले में स्थापित है तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था एवं चिमनियां स्थापित नहीं है।
6. उद्योग में जल का प्रयोग औद्योगिक प्रक्रिया में नहीं होता है तथा न ही औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होता है।
7. उद्योग से जनित ठोस अपशिष्ट यथा नमक युक्त फुटे हुये धडे अनउपयुक्त नमक/काला नमक, राख का निस्तारण अवैज्ञानिक तरीके से भूमि पर खुले भंडारित कर किया जाता है।
8. उद्योग को बोर्ड से स्थापना एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी में ओजित ओ0ए0 सं0-468/2019(अब्दुल वसीह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य)में पारित आदेश दिनांक-30/05/2019 के अनुक्रम में पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत है

“We are of the view that if any air pollution is being caused and the unit is operating in absence of consent to establish, the State PCB must exercise its authority under the provisions of the Air(Prevention and Control of Pollution) Act,1981 to prohibit polluting activities and recover compensation for the damage caused, apart from other steps.

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग मै0 श्री जमसेद पुत्र श्री शमसाद के काला नमक कारखाना, ग्राम सिंघावली रोहटा रोड तह0 व जनपद मेरठ के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

क्षेत्रीय अधिकारी, महोदय

(प्रखर कुमार)  
सहा0पर्या0अभियंता



क्षेत्रीय कार्यालय

# REGIONAL OFFICE

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. No.

635/epcb, Jamsheed-2019

दिनांक  
Dated 20/6/19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-3),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय :-

मै० श्री जमशेद पुत्र श्री शमसाद के काला नमक कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड, तह० व जनपद-मेरठ के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 03.06.2019 को किया गया था। निरीक्षण आख्या उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 558/सी/श्री जमशेद/2019 दिनांक 11.06.2019 द्वारा प्रेषित की गयी थी। आपके आदेशानुसार उपरोक्त उद्योग का पुनः दिनांक 19.06.2019 को निरीक्षण कराया गया। उद्योग में यथास्थिति पायी गयी। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग प्रक्रिया से जनित वायु उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है। उद्योग द्वारा बोर्ड से उद्योग के स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति नहीं प्राप्त की गयी है।


अग्रेतर अवगत कराना है कि मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० सं०-468/2019 (अब्दुल वसीह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य)में पारित आदेश दिनांक-30.05.2019 के मुख्य अंश निम्नवत है-

“We are of the view that if any air pollution is being caused and the unit is operating in absence of consent to establish, the State PCB must exercise its authority under the provisions of the Air(Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 to prohibit polluting activities and recover compensation for the damage caused, apart from other steps”.


उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये उद्योग के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु पुनः आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(आ०के० त्यागी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :- मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
क्षेत्रीय अधिकारी



मै0 श्री जमशेद पुत्र श्री शमसाद के काला नमक कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड, तह0 व जनपद-मेरठ के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश हेतु निरीक्षण आख्या


उपरोक्त विषयक मै0 श्री जमशेद पुत्र श्री शमसाद के काला नमक कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड, तह0 व जनपद-मेरठ का अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक-03.06.2019 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण आख्या उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 558/सी/श्री जमशेद/2019 दिनांक 11.06.2019 द्वारा प्रेषित की गयी थी। आपके आदेशानुसार उक्त उद्योग का पुनः अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 19.06.2019 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री जमशेद, प्रोपराइटर उपस्थित थे। पूर्व निरीक्षण दिनांक 03.06.2019 के निरीक्षण के पश्चात् उद्योग द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

1. उद्योग ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड, तह0 व जनपद-मेरठ में स्थापित एवं संचालित है। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत था।
2. उद्योग में कच्चे माल के रूप में नमक हर्रा, बहेडा, आवला आदि का प्रयोग कर काला नमक का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 3.0 टन/दिन काला नमक उत्पादन की है।
3. उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे मिट्टी के घड़ों में नमक हर्रा बहेडा, आवला आदि को भरकर भट्टी में मैल्टिंग स्टेज तक गर्म किया जाता है तदोपरांत ठंडा कर घड़ों को फोड़ कर काला नमक निकाला जाता है।
4. भट्टियों में ईंधन के रूप में गोबर के उपले 300 किग्रा/दिन एवं कोल बिकेट 2.0 टन/दिन प्रयोग किया जाता है।
5. उद्योग में 06 भट्टियां खुले में स्थापित है तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था एवं चिमनियां स्थापित नहीं है।
6. उद्योग में जल का प्रयोग औद्योगिक प्रक्रिया में नहीं होता है तथा न ही औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होता है।
7. उद्योग से जनित ठोस अपशिष्ट यथा नमक युक्त फुटे हुये धड़े अन-उपयुक्त नमक/काला नमक, राख का निस्तारण अवैज्ञानिक तरीके से भूमि पर खुले भंडारित कर किया जाता है।
8. उद्योग को बोर्ड से स्थापना एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं है।
9. उद्योग लघु श्रेणी का है। उद्योग वायु प्रदूषणकारी है तथा नारंगी श्रेणी के उद्योगों के अंतर्गत आच्छादित है।


अग्रेतर अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0-468/2019 (अब्दुल वसीह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य)में पारित आदेश दिनांक-30.05.2019 के मुख्य अंश निम्नवत है-

"We are of the view that if any air pollution is being caused and the unit is operating in absence of consent to establish, the State PCB must exercise its authority under the provisions of the Air(Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 to prohibit polluting activities and recover compensation for the damage caused, apart from other steps".

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग मै0 श्री जमशेद पुत्र श्री शमसाद के काला नमक कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड, तह0 व जनपद-मेरठ के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु पुनः आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

  
(प्रखर कुमार)  
सहा0पर्या0अभि0

43  
क्षेत्रीय अधिकारी



20.06.19

559/एक इमरान-2019

11/6/19

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-3),  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय:- मै0 श्री इमरान का काला नमक का कारखाना ग्राम सिंघावली रोहटा रोड तह0 व जनपद मेरठ प्रोपराइटर इमरान के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक-03/06/2019 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार उद्योग में काला नमक का उत्पादन किया जाता है प्रक्रिया से जनित वायु उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है। उद्योग द्वारा बोर्ड से उद्योग के स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति नहीं प्राप्त की गयी है।


अग्रेतर अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी में ओजित ओ0ए0 सं0-468/2019(अब्दुल वसीह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य)में पारित आदेश दिनांक-30/05/2019 के मुख्य अंश निम्नवत है

“We are of the view that if any air pollution is being caused and the unit is operating in absence of consent to establish, the State PCB must exercise its authority under the provisions of the Air(Prevention and Control of Pollution) Act,1981 to prohibit polluting activities and recover compensation for the damage caused,apart from other steps.

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये उद्योग के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।


भवदीय

  
(आर0के0 त्यागी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-

1. मुख्य विधि अधिकारी,उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
क्षेत्रीय अधिकारी



मै0 श्री इमरान का काला नमक का कारखाना ग्राम सिंघावली रोहटा रोड तह0 व जनपद मेरठ प्रोपराइटर इमरान के विरुध वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश हेतु निरीक्षण आख्या:-


उपरोक्त विषयक मै0 श्री इमरान का काला नमक का कारखाना ग्राम सिंघावली रोहटा रोड तह0 व जनपद मेरठ प्रोपराइटर इमरान का अघोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक-3/06/2019 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधी के रूप मै0 श्री इमरान प्रोपराइटर उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत है।

1. उद्योग ग्राम सिंघावली रोहटा रोड तह0 व जनपद मेरठ, में स्थापित एवं संचालित हैं। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत था।
2. उद्योग मे कच्चे माल के रूप में नमक हर्र बहेडा, आवला आदि का प्रयोग कर काला नमक का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 3.0 टन/दिन काला नमक उत्पादन की है।
3. उत्पादन प्रक्रिया मे कच्चे मिटटी के धडो मे नमक हर्र बेहडा, आवला आदि को भरकर भटटी में मैल्टिंग स्टेज तक गर्म किया जाता है तदुपरांत ठडा कर धडो को फोड कर काला नमक निकाला जाता है।
4. भटटीयों में ईधन के रूप में गोबर के उपले 300किग्रा/दिन एवं कोल बिकेट 2.0टन/दिन प्रयोग किया जाता है।
5. उद्योग में 6 भटटीया खुले में स्थापित है तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था एवं चिमनियां स्थापित नहीं है।
6. उद्योग में जल का प्रयोग औद्योगिक प्रक्रिया में नहीं होता है तथा न ही औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होता है।
7. उद्योग से जनित ठोस अपशिष्ठ यथा नमक युक्त फुटे हुये धडे अनउपयुक्त नमक/काला नमक, राख का निस्तारण अवैज्ञानिक तरीके से भूमि पर खुले भंडारित कर किया जाता है।
8. उद्योग को बोर्ड से स्थापना एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी में ओजित ओ0ए0 सं0-468/2019(अब्दुल वसीह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य)में पारित आदेश दिनांक-30/05/2019 के अनुक्रम में पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत है।

“We are of the view that if any air pollution is being caused and the unit is operating in absence of consent to establish, the State PCB must exercise its authority under the provisions of the Air(Prevention and Control of Pollution) Act,1981 to prohibit polluting activities and recover compensation for the damage caused, apart from other steps.


उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग मै0 श्री इमरान के काला नमक कारखाना, ग्राम सिंघावली रोहटा रोड तह0 व जनपद मेरठ के विरुध वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।



(प्रखर कुमार)

सहा0पर्या0अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी / महोदय



10.06-19



क्षेत्रीय कार्यालय

# REGIONAL OFFICE

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.

634/e/सं. इमरान-2019

दिनांक

Dated

20/6/19

सेवा में

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-3),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय :- मै० श्री इमरान का काला नमक का कारखाना ग्राम-सिंघावली,रोहटा रोड, तह० व जनपद-मेरठ के विरुद्ध प्रोपराइटर इमरान के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 03.06.2019 को किया गया था। निरीक्षण आख्या उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 559/सी/श्री इमरान/2019 दिनांक 11.06.2019 द्वारा प्रेषित की गयी थी। आपके आदेशानुसार उपरोक्त उद्योग का पुनः दिनांक 19.06.2019 को निरीक्षण कराया गया। उद्योग में यथास्थिति पायी गयी। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग प्रक्रिया से जनित वायु उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है। उद्योग द्वारा बोर्ड से उद्योग के स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति नहीं प्राप्त की गयी है।

अग्रेतर अवगत कराना है कि मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० सं०-468/2019 (अब्दुल वसीह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य)में पारित आदेश दिनांक-30.05.2019 के मुख्य अंश निम्नवत है-

"We are of the view that if any air pollution is being caused and the unit is operating in absence of consent to establish, the State PCB must exercise its authority under the provisions of the Air(Prevention and Control of Pollution) Act,1981 to prohibit polluting activities and recover compensation for the damage caused,apart from other steps".

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये उद्योग के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु पुनः आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आर०के० त्यागी)  
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि :-

मुख्य विधि अधिकारी,उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

श्री इमरान का काला नमक का कारखाना ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड, तह0 व जनपद-मेरठ के विरुद्ध प्रोपराइटर इमरान के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश हेतु निरीक्षण आख्या


उपरोक्त विषयक मै0 श्री इमरान का काला नमक का कारखाना ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड तह0 व जनपद-मेरठ प्रोपराइटर इमरान का अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक-03.06.2019 को निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण आख्या उद्योग के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 559/सी/श्री इमरान/2019 दिनांक 11.06.2019 द्वारा प्रेषित की गयी थी। आपके आदेशानुसार उक्त उद्योग का पुनः अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 19.06.2019 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप श्री इमरान, प्रोपराइटर उपस्थित थे। पूर्व निरीक्षण दिनांक 03.06.2019 के पश्चात् उद्योग द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है-

1. उद्योग ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड, तह0 व जनपद-मेरठ में स्थापित एवं संचालित है। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत था।
2. उद्योग में कच्चे माल के रूप में नमक हर्रा, बहेडा, आवला आदि का प्रयोग कर काला नमक का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की उत्पादन क्षमता 3.0 टन/दिन काला नमक उत्पादन की है।
3. उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे मिट्टी के घड़ों में नमक हर्रा बेहडा, आवला आदि को भरकर भट्टी में मैल्टिंग स्टेज तक गर्म किया जाता है तदोपरांत ठंडा कर घड़ों को फोड कर काला नमक निकाला जाता है।
4. भट्टियों में ईंधन के रूप में गोबर के उपले 300किग्रा/दिन एवं कोल बिकेट 2.0टन/दिन प्रयोग किया जाता है।
5. उद्योग में 08 भट्टियां खुले में स्थापित है तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था एवं चिमनियां स्थापित नहीं है।
6. उद्योग में जल का प्रयोग औद्योगिक प्रक्रिया में नहीं होता है तथा न ही औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होता है।
7. उद्योग से जनित ठोस अपशिष्ट यथा नमक युक्त फुटे हुये धडे अन-उपयुक्त नमक/काला नमक, राख का निस्तारण अवैज्ञानिक तरीके से भूमि पर खुले भंडारित कर किया जाता है।
8. उद्योग को बोर्ड से स्थापना एवं संचालन हेतु सहमति प्राप्त नहीं है।
9. उद्योग लघु श्रेणी का है। उद्योग वायु प्रदूषणकारी है तथा नारंगी श्रेणी के उद्योगों के अंतर्गत आच्छादित है।


अग्रेतर अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 सं0-468/2019 (अब्दुल वसीह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य)में पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 के अनुक्रम में पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत है-

“We are of the view that if any air pollution is being caused and the unit is operating in absence of consent to establish, the State PCB must exercise its authority under the provisions of the Air(Prevention and Control of Pollution) Act,1981 to prohibit polluting activities and recover compensation for the damage caused, apart from other steps.

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग मै0 श्री इमरान के काला नमक कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड तह0 व जनपद-मेरठ के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु पुनः आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

  
(प्रखर कुमार)  
सहा0पर्या0अभि0

45  
क्षेत्रीय अधिकारी

  
20.06.19

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदस्य संख्या H384 / सी-3/वायु-669/ब0आ0/मेरठ/2019 दिनांक 03-7-19

सका मं.

पंजीकृत

मै0 आजाद ब्लैक साल्ट,  
ग्राम-सिधावली, रोहटा रोड,  
तहसील व जनपद-मेरठ।

यह कि मै0 आजाद ब्लैक साल्ट, ग्राम-सिधावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ जोकि कच्चे माल के रूप में नमक, हर बहड़ा, आवला आदि का प्रयोग कर काला नमक के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है। वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मै0 आजाद ब्लैक साल्ट, ग्राम-सिधावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ का मा0 एन0जी0टी0 म योजित ओ0ए0 संख्या-468/2019 (अब्दुल वसीह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 03.06.2019 एवं 19.06.2019 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उद्योग में 08 मॉनिटरिंग स्थापित हैं, जिन पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था एवं चिमनियाँ स्थापित नहीं हैं। उद्योग से जानेत ठास अपशिष्ट यथा नमक युक्त फुट हुए घड़े अनउपयुक्त नमक/काला नमक, राख का निस्तारण अवैज्ञानिक तरीके से भूमि पर खुले में भण्डारित किया जाता है। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित एवं बिना सहमति प्राप्त किये संचालित है।

यह कि मै0 आजाद ब्लैक साल्ट, ग्राम-सिधावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ द्वारा राज्य बोर्ड से पूर्व अनुमति/सहमति प्राप्त किये संचालित उद्योग से जनित होने वाले उत्सर्जन से आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि मा0 एन0जी0टी0 म योजित ओ0ए0 संख्या-468/2019 (अब्दुल वसीह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 के अनुक्रम में उद्योग मै0 आजाद ब्लैक साल्ट, ग्राम-सिधावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ के निरीक्षण दिनांक 03.06.2019 एवं दिनांक 19.06.2019 के मध्य अर्थात् कुल 17 दिन का वर्णित अधिनियम का उल्लंघन उद्योग द्वारा किया गया है।

आज, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड का प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मै0 आजाद ब्लैक साल्ट, ग्राम-सिधावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित बड़ी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं :-

- 1 यह कि मै0 आजाद ब्लैक साल्ट, ग्राम-सिधावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ के संचालन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
- 2 यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै0 आजाद ब्लैक साल्ट, ग्राम-सिधावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

2/-

दोस्त 12 वी विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल: info@uppcb.com  
वेबसाइट: www.uppcb.com

I.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: info@uppcb.com  
Web site www.uppcb.com

*(Handwritten signature)*

यह कि मै० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० संख्या-468/2019 (अब्दुल वसीह बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 के अनुक्रम में सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनानुसार सी०पी०सी०बी० द्वारा विकसित की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार निरीक्षण दिनांक 03.06.2019 एवं निरीक्षण दिनांक 19.06.2019 के मध्य अर्थात् कुल 17 दिन का उल्लंघन मानते हुए मै० आजाद ब्लॉक साल्ट, ग्राम-सिधावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ के विरुद्ध रू०-7,813/- प्रतिदिन की दर से कुल रू०-1,32,821/- का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिरोपित अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गंगमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें।

(एन०के० चौहान)  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिनिधि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को मै० आजाद ब्लॉक साल्ट, ग्राम-सिधावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि०, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि कृपया मै० आजाद ब्लॉक साल्ट, ग्राम-सिधावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि मै० आजाद ब्लॉक साल्ट, ग्राम-सिधावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

(एन०के० चौहान)  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

OK ↓

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदस्य संख्या H38109 / सी-3/वायु-670/ब0आ0/मेरठ/2019 दिनांक 3.07.2019

संवा. नं.

पजीकृत

मै0 श्री जमशेद पुत्र श्री शमशाद का काला नमक का कारखाना,  
ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड,  
तहसील व जनपद-मेरठ।

यह कि मै0 श्री जमशेद पुत्र श्री शमशाद का काला नमक का कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड तहसील व जनपद-मेरठ जोकि कच्चे माल के रूप में नमक, हरं बहेड़ा, आवला आदि का प्रयोग कर काला नमक के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है। वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मै0 श्री जमशेद पुत्र श्री शमशाद का काला नमक का कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड तहसील व जनपद-मेरठ का मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या-468/2019 (अब्दुल बसीह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 03.06.2019 एवं 19.06.2019 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उद्योग में 08 भट्टियाँ स्थापित हैं, जिन पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था एवं विमानियाँ स्थापित नहीं हैं। उद्योग से जनित टोस अपशिष्ट यथा नमक युक्त फुटे हुए घड़े अनउपयुक्त नमक/काला नमक, राख का निस्तारण अद्वैज्ञानिक तरीके से भूमि पर खुले में भण्डारित किया जाता है। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित एवं बिना सहमति प्राप्त किये संचालित है।

यह कि मै0 श्री जमशेद पुत्र श्री शमशाद का काला नमक का कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड तहसील व जनपद-मेरठ द्वारा राज्य बोर्ड से पूर्व अनुमति/सहमति प्राप्त किये संचालित उद्योग से जनित होने वाले उत्सर्जन से आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित में निहित आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या-468/2019 (अब्दुल बसीह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 के अनुक्रम में उद्योग मै0 श्री जमशेद पुत्र श्री शमशाद का काला नमक का कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ के निरीक्षण दिनांक 03.06.2019 एवं दिनांक 19.06.2019 के मध्य अर्थात् कुल 17 दिन का वर्णित अधिनियम का उल्लंघन उद्योग द्वारा किया गया है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मै0 श्री जमशेद पुत्र श्री शमशाद का काला नमक का कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ के विरुद्ध सक्षम अधिकारियों के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित बर्दा आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं -

1. यह कि मै0 श्री जमशेद पुत्र श्री शमशाद का काला नमक का कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ के संचालन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै0 श्री जमशेद पुत्र श्री शमशाद का काला नमक का कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ को मिलने वाली बिजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-[info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
वेब साइट-[www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
Web site [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

इकराम आरिफ़ प्रो.रा.र.र.

यह कि मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० संख्या-468/2019 (अब्दुल वसीह बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 के अनुक्रम में सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनानुसार सी०पी०सी०बी० द्वारा विकसित की गयी मेथाडॉलॉजी के अनुसार निरीक्षण दिनांक 03.06.2019 एवं निरीक्षण दिनांक 19.06.2019 के मध्य अर्थात् कुल 17 दिन का उल्लंघन मानते हुए मै० श्री जमशद पुत्र श्री शमशाद का काला नमक का कारखाना, गाम-सिंघावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ के विरुद्ध रु०-7,813/- प्रतिदिन की दर से कुल रु०-1,32,821/- का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिरोपित अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-UBIN०570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें।

  
(एन०के० चौहान)  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- जिलाधिकारी, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को मै० श्री जमशद पुत्र श्री शमशाद का काला नमक का कारखाना, गाम-सिंघावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कॉर्पोरेशन लि०, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि कृपया मै० श्री जमशद पुत्र श्री शमशाद का काला नमक का कारखाना, गाम-सिंघावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि मै० श्री जमशद पुत्र श्री शमशाद का काला नमक का कारखाना, गाम-सिंघावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H38110 / सी-3/वायु-671/ब0आ0/मेरठ/2019 दिनांक 3.07.2019

सेवा में,

मै0 श्री इमरान का काला नमक का कारखाना,  
ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड,  
तहसील व जनपद-मेरठ।

पजीकृत

यह कि मै0 श्री इमरान का काला नमक का कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ जोकि कच्चे माल के रूप में नमक, हर बहेड़ा, आवला आदि का प्रयोग कर काला नमक के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है। वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मै0 श्री इमरान का काला नमक का कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ का मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या-468/2019 (अब्दुल वसीह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 03.06.2019 एवं 19.06.2019 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उद्योग में 08 भट्टियों स्थापित हैं, जिन पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था एवं चिमनिवर्ती स्थापित नहीं हैं। उद्योग से जनित ठोस अपशिष्ट यथा नमक युक्त फुटे हुए घड़े अनुरूपयुक्त नमक/काला नमक, राख का निस्तारण अवैज्ञानिक तरीके से भूमि पर खुले में भण्डारित किया जाता है। उद्योग राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित एवं बिना सहमति प्राप्त किये संचालित है।

यह कि मै0 श्री इमरान का काला नमक का कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ द्वारा राज्य बोर्ड से पूर्व अनुमति/सहमति प्राप्त किये संचालित उद्योग से जनित होने वाले उत्सर्जन से आस-पास के पर्यावरण एवं जन मानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित में निहित आजापक प्राविधानों का उल्लंघन तथा एक दण्डनीय अपराध है।

यह कि मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ0ए0 संख्या-468/2019 (अब्दुल वसीह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 के अनुक्रम में उद्योग मै0 श्री इमरान का काला नमक का कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ के निरीक्षण दिनांक 03.06.2019 एवं दिनांक 19.06.2019 के मध्य अर्थात् कुल 17 दिन का वर्णित अधिनियम का उल्लंघन उद्योग द्वारा किया गया है।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31 ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मै0 श्री इमरान का काला नमक का कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ के विरुद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनापरान्त निम्नलिखित बंदी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते हैं :-

1. यह कि मै0 श्री इमरान का काला नमक का कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ के संचालन कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि मै0 श्री इमरान का काला नमक का कारखाना, ग्राम-सिंघावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ को मिलने वाली विजली, पानी तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

2/-

टी0सी0-12 वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल- info@uppecb.com  
वेब साइट- www.uppcb.com

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail- info@uppecb.com  
website www.uppcb.com

इमरान  
माली का

यह कि मा० एन०जी०टी० में योजित ओ०ए० संख्या-468/2019 (अब्दुल वसीह बनाम् उ०प्र० राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 30.05.2019 के अनुक्रम में सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनानुसार सी०पी०सी०बी० द्वारा विकसित की गयी मैथाडालोजी के अनुसार निरीक्षण दिनांक 03.06.2019 एवं निरीक्षण दिनांक 19.06.2019 के मध्य अर्थात् कुल 17 दिन का उल्लंघन मानते हुए मै० श्री इमरान का काला नमक का कारखाना, ग्राम-सिधावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ के विरुद्ध रू०-7,813/- प्रतिदिन की दर से कुल रू०-1,32,821/- का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्धदण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस०सी० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें।

(एन०के० चौहान)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)

प्रतिलिपि-निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-


- 1- जिलाधिकारी, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को मै० श्री इमरान का काला नमक का कारखाना, ग्राम-सिधावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ को तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराया जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि कृपया मै० श्री इमरान का काला नमक का कारखाना, ग्राम-सिधावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित कराना सुनिश्चित करें।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि मै० श्री इमरान का काला नमक का कारखाना, ग्राम-सिधावली, रोहटा रोड, तहसील व जनपद-मेरठ की तत्काल बन्दी सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-3)


०/८


बन्दी आख्या


मा0 एन0जी0टी द्वारा ओए0सं0-468/2019 में पारित आदेश दिनांक-30/05/2019 के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्रांक-एच38111/सी-3/वायु-669/बा0अ0/मेरठ/2019 दिनांक-03/07/2019 द्वारा मै0 आजाद ब्लैक साल्ट ग्राम सिंधावली रोहटा रोड तहसील व जनपद मेरठ को बन्दी आदेश जारी किये गये है।उपरोक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु मै0 मै0 आजाद ब्लैक साल्ट ग्राम सिंधावली रोहटा रोड तहसील व जनपद मेरठ को आज दिनांक-~~6/7/19~~ को जिला प्रशासन व पुलिस वल के सहयोग से बन्द कराया गया।उद्योग का बन्दी सुनिश्चित रखने हेतु थानाध्यक्ष केकरबेडा मेरठ को निर्देशित किया गया।

  
(एस0पी0सिंह)  
अवर अभि0  
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
मेरठ।

  
(प्रखर कुमार)  
सहा0पर्या0अभि0  
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
मेरठ।

  
(धरमेश कुमार)  
उपनिरीक्षक  
थाना केकरबेडा  
मेरठ

  
(पुनर्वीर सिंह)  
उपजिलाधिकारी  
मेरठ

उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का हस्ताक्षर 

उद्योग प्रतिनिधि का नाम शुल्की मंजरी


पद नाम जौपर/522

मोहर

दिनांक:- 6/7/19

## बन्दी आख्या


मा० एन०जी०टी द्वारा ओए०सं०-468/2019 में पारित आदेश दिनांक-30/05/2019 के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्रांक-एच38109/सी-3/वायु-670/बा०अ०/मेरठ/2019 दिनांक-03/07/2019 द्वारा मै० श्री जमशेद पुत्र श्री शमशाद का काला नमक का कारखाना ग्राम सिंघावली रोहटा रोड तहसील व जनपद मेरठ को बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। उपरोक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु मै० श्री जमशेद पुत्र श्री शमशाद का काला नमक का कारखाना ग्राम सिंघावली रोहटा रोड तहसील व जनपद मेरठ को आज दिनांक-06/07/19 को जिला प्रशासन व पुलिस वल के सहयोग से बन्द कराया गया। उद्योग का बन्दी सुनिश्चित रखने हेतु थानाध्यक्ष...  
...केकरबेड़ा... मेरठ को निर्देशित किया गया।



(एस०पी०सिंह)

अवर अभि०

उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
मेरठ।





(प्रखर कुमार)

सहा०पर्या०अभि०

उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
मेरठ।

इकरबेड़ा

  
(उपेन्द्र सिंह)  
उपनिरीक्षक  
थाना केसरबेड़ा  
मेरठ

  
(उपेन्द्र सिंह)  
उपजिलाधिकारी  
मेरठ

उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

उद्योग प्रतिनिधि का नाम

इकरबेड़ा

पद नाम


भाई प्रोपराइटर

मोहर

दिनांक:-6-7-19


## बन्दी आख्या

मा० एन०जी०टी द्वारा ओए०सं०-468/2019 में पारित आदेश दिनांक-30/05/2019 के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के पत्रांक-एच38110/सी-3/वायु-671/बा०अ०/मेरठ/2019 दिनांक-03/07/2019 द्वारा मै० इमरान का काला नमक का कारखाना ग्राम सिंधावली रोहटा रोड तहसील व जनपद मेरठ को बन्दी आदेश जारी किये गये है। उपरोक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु मै० इमरान का काला नमक का कारखाना ग्राम सिंधावली रोहटा रोड तहसील व जनपद मेरठ को आज दिनांक-6/7/19 को जिला प्रशासन व पुलिस बल के सहयोग से बन्द कराया गया। उद्योग का बन्दी सुनिश्चित रखने हेतु थानाध्यक्ष सि.के. (के.डी.) मेरठ को निर्देशित किया गया।

  
(एस०पी०सिंह)

अवर अभि०


उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
मेरठ।




(प्रखर कुमार)

सहा०पर्या०अभि०

उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
मेरठ।

  
(ज.के.सिंह)  
उपनिर्देशक  
थाना के.डी. (के.डी.)  
मेरठ

  
(ज.के.सिंह)  
उपजिलाधिकारी  
मेरठ

उपस्थित उद्योग प्रतिनिधि का हस्ताक्षर श.के.सिंह

उद्योग प्रतिनिधि का नाम श.के.सिंह S.० इमरान

पद नाम पुत्र

मोहर

दिनांक:- 6/7/2019

इमरान  
मलिक

6/7/2019